कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

नागौर पुलिस ने किया अपहरण काण्ड का पर्दाफाश

जयपुर 25 अप्रेल। थाना कोतवाली पुलिस ने आज मंगलवार को 23 अप्रेल की थाना पर दर्ज अपहरण काण्ड की रिपोर्ट का पर्दाफाश करते हुए कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल के आधार पर एक युवक गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक नागौर श्री परिस देशमुख ने बताया कि 23 अप्रेल,17 को श्री भागीरथ पुत्र भंवरलाल जाति वैष्णव उम्र 21 साल निवासी रामसर थाना जायल ने राजकीय चिकित्सालय नागौर में ईलाज के दौरान रिपोर्ट दी कि मेरी दिल्ली दरवाजा के पास नागौर में दर्जी की दुकान है 21 अप्रेल,17 को रात्री में 8–9 बजे एक लडका जिसकी उम्र करीब 21–22 साल थी, जो मेरी दुकान पर आया तथा कहा कि मेरी एक ड्रेस सिलवानी है। मैंने उसका नाप ले लिया उसने अपना नाम श्यामलाल लिखवाया था। उस समय वह लड़का कपड़ा लेकर नहीं आया था वो ही लडका 22 अप्रेल 17 को रात्री 11 बजे दुकान पर कपड़ा लेकर आया तथा कहा कि मेरा भाई आधा घण्टे के बाद आयेगा, उसके भी एक ड्रेस सिलवानी है। फिर रात्री को दो बजे वो उसी लड़के ने मेरी दुकान पर आकर कहा कि मेरा भाई गाडी में बैठा है उसके चोट लगी हुई है वह दुकान पर नहीं आ सकता है आप नीचे जाकर उसकी ड्रेस का नाप ले लो मैं दुकान से नीचे उतरकर गया तो गाड़ी में 3 व्यक्ति आगे बैढे थे, 3 व्यक्ति पीछे बैठे थे व एक व्यक्ति बीच में बैठा था जिसका नाप लेकर मैं डायरी में नाम लिखने लगा तो सभी व्यक्तियों ने मुझे जबरन गाडी में डाल लिया व मेरे साथ मारपीट करते हुए डेह की तरफ ले गये, उन्होनें शराब पी रखी थी तथा उनके पास इनोवा मॉडल जैसी सफेद रंग की गाड़ी थी नागौर से करीब 10–15 किलोमीटर डेह की तरफ एक ताल में ले जाकर गाडी से उतारकर नीचे पटककर चाकु से मेरे उपर वार कर चोटें पहॅुचाई, उसके बाद वो सभी गाडी लेकर भाग गये। मैनें एक ट्रैक्टर वाले को रुकवाकर उसके मोबाईल से कैलाश बैष्णव निवासी डेह को फोन कर बुलाया, कैलाश एम्बुलेन्स 108 लेकर आया व मुझे डेह अस्पताल ले जाकर ईलाज करवाया व उसके बाद राजकीय चिकित्सालय नागौर लेकर आया।

श्री परिस देशमुख ने बताया कि उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री नन्दराम भादु नि0पु0 थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली के नेतृत्व मे एक टीम का गठन कर मुलजिमों की तलाशी के निर्देश दिये गये जिस पर संदिग्ध मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल के आधार पर रेखाराम पुत्र पूसाराम निवासी लिखमीसर से पूछताछ की जाकर पूछताछ के आधार पर पवन राणा पुत्र श्योकरण जाति ढोली उम्र 20 साल निवासी डूंगरगढ जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया गया मुलजिम को बापर्दा रखा गया, मुलजिम से पूछताछ व अनुसंधान से पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते यह अपराध कारित किया गया।

उक्त प्रकरण में श्री नन्दराम भादु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, श्री रामेश्वर लाल स0उ0नि0, श्री लक्ष्मीनारायण है0 कानि0 84 साईबर सैल नागौर, श्री रामलाल कानि0 68, श्री नवरतन कानि0 1032, श्री रामचन्द्र कानि0 208 के अथक प्रयास से मुख्य आरोपी पवन राणा को गिरफतार किया है। पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफतारी के प्रयास में लग रही हैं।

राही / सन्तरा / 336 / 2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

1 लाख रूपये की देशी अवैध शराब से भरी बोलेरो बरामद कर बोलेरो चालक एवं एक बालअपचारी को गिरफ्तार किया

जयपुर 25 अप्रेल। थाना भुसावर क्षेत्र में आज मंगलवार को भुसावर पुलिस व हाईवे मोबाईल ने 1 लाख रूपये की देशी अवैध शराब से भरी बोलेरो बरामद कर बोलेरो चालक एवं एक बालअपचारी को गिरफ्तार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि आज 25 अप्रेल, 2017 को भुसावर पुलिस व हाईवे मोबाईल प्रथम के जाप्ता ने नाकाबन्दी के दौरान खेडली मोड पर अवैध शराब से भरी हुई एक बोलेरो गाडी को पकड कर चालक को गिरफतार कर एक बालअपचारी को निरूद्व किया गया है।

श्री विश्नोई बताया कि खेडली मोड पर नाकाबन्दी कर रही हाईवे मोबाईल प्रथम को जरिये मुखविर सूचना मिली कि एक बोलेरो गाडी रंग सफेद नम्बर आरजे 05 टीईएमपी 0515 जिसके पीछे कसाना लिखा हुआ है। उक्त बोलेरो में अवैध शराब भरी हुई है। जो महुआ से भुसावर की तरफ जायेगी।

श्री कैलाशचन्द्र ने बताया कि सूचना पर थाना भुसावर के थानाधिकारी श्री रामनिवास मीना ने खेडली मोड पर भुसावर पुलिस व हाईवे मोबाईल प्रथम से नाकाबन्दी करवा कर भरतपुर की तरफ आ रही बोलेरो को मुखविर के बताये अनुसार रूकवाया तो बोलेरो चालक व एक अन्य युवक पुलिस जाप्ता को बावर्दी देख गाडी को मौके पर ही छोड भागने लगे तो पुलिस जाप्ता ने उक्त दोनों को पीछा कर पकड लिया और उनसे नाम–पता पूछा तो चालक ने अपना नाम

रामवअतार पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी दुब्बी थाना महावीरजी जिला करौली का होना बताया तथा गाडी की तलाशी में गाडी में 70 पेटी (कुल 3360 पव्वा) अवैध देशी शराब के मिले।

उन्होंने बताया कि गाडी में मिली अवैध शराब की कीमत लगभग 1 लाख रूपये बताई जा रही है। पुलिस ने बोलेरो चालक रामवअतार को गिरफतार कर तेसगांव थाना नादौती जिला करौली निवासी एक बालअपचारी को निरूद्व कर अवैध शराब व बोलेरो गाडी को जप्त कर थाना पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

राही/सन्तरा/335/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

कार से चोरी किए रुपये एंव सामान बरामद, दो बालअपचारी निरुद्ध, मोटरसाईकल , ब्रीफकेश, पैन कार्ड, आधार कार्ड व 50,000 हजार रुपये बरामद

जयपुर 24 अप्रेल। जिला अलवर के थाना कोतवाली पुलिस ने 23 अप्रेल,2017 को 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये गये सामान ब्रीफकेश, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोटरसाईकल व 50,000 हजार रुपये बरामद किये गये है।

पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों की रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। थाना कोतवाली क्षेत्र मे हो रही चोरी की वारदातो का राजफाश करने के लिए अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री पारसमल जैन, पुलिस उप अधीक्षक श्री जयसिहं नथावत वृत उतर शहर अलवर के निर्देशन में थानाधिकारी मय टीम ने फोटो व विडियो शहर में विभिन्न जगह पर लगे सी सी टी वी कैमरो से प्राप्त कर विशलेषण किया गया।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि गठित टीम ने दिल्ली से आपराधिक प्रवृति के लोगों की बस्ती मदनगिर पुलिस थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली से टीम ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नम्बर क्र–35–क्ड–1118 को जप्त कर घटना अंजाम देने वाले 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किये गये सामान ब्रीफकेश, पैन कार्ड, आधार कार्ड व 50,000 हजार रुपये बरामद किये गये तथा प्रकरण में शेष आरोपियों की तलाश जारी है कि 21 अप्रैल 2017 को परिवादी श्री अरविन्द लवानिया पुत्र सत्यभान सिहं जाति ब्रहामण उम्र 43 साल निवासी ए–86 हसन खाँ मेंवात नगर थाना शिवाजी पार्क अलवर ने लिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि मै आर्य नगर अलवर से एस बी आई बैक से 2.50 लाख रुपये लेकर मेरी गाडी होण्डाई वरना में रखकर मेरे ससुराल स्कीम नं. 2 अलवर पर पहुचा था। मैं गाडी घर के सामने खडी कर अन्दर गया तभी मेरे पिछे से दो लडके आये एंव गाडी का गैट व डिग्गी खोलकर 2.50 लाख रुपये चोरी कर मोटरसाईकल पर फरार हो गये।

तरीका वारदातः–व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनमें बैक, फाईन्नस कम्पनी ओफिस, बडे शोरुम, जिनमे ग्राहक चोपहिया वाहनों में अपने पैसे व सामान रखकर आते दृजाते है तब खडे वाहनों रैकी करना रेकी के बाद खडी गाडियों के शीशे व लॉक तोडकर गाडी में रखे सुटकेश, लैपटौप व पैसों को चोरी कर ले जाना।

राही/सन्तरा/327/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।